पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(केन्द्रीय कार्यालय मा.सं.)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्राप्त श्री Shailendra Sharma का Appeal

Appeal	चाही गई सूचना डिफीकल्ट लोकेशन की नीती / पॉलीसी से संबंधित थी। नीती कभी भी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत नहीं आती, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पावरग्रिड स्वयं है जिसकी मानव संसाधन पॉलीसी उसकी वेबसाईट पर डली हुई है एवं सभी कर्मचारियों के पढने हेतु सुलभ है। चाही गई सूचना न तो कोर्मशियल कांफीडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स अथवा बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती है। अतः सूचना के अधिकार की धारा 8(1) डी के अंतर्गत सूचना नहीं देना गलत है। ऐसा लगता है कि पावरग्रिड के पास डिफिकल्ट पोस्टिंग डिसाइड करने हेतु सुदृढ एवं पारदर्शी पोलिसी / नीति नहीं है। चाही गई सूचना पावरग्रिड के कार्मिकों के व्यापक जनहित से संबंधित थी, डिफीकल्ट उपकेन्द्र, कार्यालय एवं साइट्स के निर्धारण की नीति सुस्पष्ट एवं पारदर्शी नहीं होने के कारण पावरग्रिड की कई लोकेशनस एवं साइट्स जो कि डिफीकल्ट पोस्टिंग के अंतर्गत आनी चाहिए थी, नहीं आ पा रही हैं। परिणामतः कई कार्मिक जिन्हें डिफीकल्ट पोस्टिंग का लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है। इस कारण वर्तमान में अघोषित डिफीक्लट पोस्टिंग पर तैनात पावरग्रिड कार्मिकों एवं भविष्य में तैनात होने वाले कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों को पावरग्रिड द्वारा डिफीक्ल्ट पोस्टि के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है / रहना पड़ेगा। अघोषित डिफीक्लट लोकेशन एवं साइट्स पर तैनात कार्मिकों के आश्रितों को अच्छी चिकित्सा सुविधा, अच्छी शिक्षा से वंचित रहना पड रहा है, चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने अपने विभिन्न जज्मेंटस में राइट टू एजूकेशन, राइट टू प्रोपर मेडिकल अटेंडेंस को संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार 21 राइट टू लाईफ एंड लिबर्टी का अंग माना है. अतः चाही गई सूचना को न देना अघोषित डिफीक्लट पोस्टिंग पर तैनात कार्मिकों एवं उनके आश्रितों मौलिक अधिकारों के इंजोयमेंट में बाधा उत्पन्न करना अतः अपीलीय अधिकारी से निवेदन है कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।
Proposed reply to Appeal	पावरग्रिड की 'Transfer Policy for Executives' एवं इस पालिसी के साथ संलग्नक 'Difficult Locations (दिफिकल्ट लोकेशन्स) की लिस्ट, Intranet (इंट्रानेट) पर सभी करमचारियों को उपलब्ध है | ट्रांसफर पालिसी एवं संलग्नक दिफिकल्ट लोकेशन्स की लिस्ट, आवेदक ने भी RTI Query के साथ संलग्न किया है | दिफिकल्ट लोकेशन्स की पहचान तथा कार्यपालको के दिफिकल्ट लोकेशन्स पर पोस्टिंग की अवधि को आंतरिक अनुसंधान, अध्ययन, चर्चा और विचार-विमर्श के पश्चात, पावरग्रिड द्वारा, कार्यपालको के ट्रांसफर को विनियमित करने के लिए, निर्धारित किया गया है | इसके अतिरिक्त, कोई भी असंतुष्ट / पीड़ित कार्यपालक, इस मामले पर चर्चा करने के लिए मानव संसाधन विभाग से कभी भी संपर्क कर सकता है। अपितु, दिफिकल्ट लोकेशन्स की पहचान के मापदंड किसी भी लोक क्रियाकलाप या हित से संबन्धित नही है (Has no relationship to any public activity or interest) | दिफ़िकल्ट लोकेशन्स की पहचान के मापदंड, पावर्ग्रिड की बौधिक संपदा है, अत: इस प्रकार की सूचना को प्रकट किए जाने से RTI Act, 2005 के सक्शन 8 (1) (d) के अंतर्गत छूट है ।

9/6/23

(हनी एम. मैथ्यू)
मुख्य प्रबंधक (मा. सं.)

अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रेषित ।

वरिष्ठ महा प्रबंधक (मा. सं.) 09.06.2023

मुख्य महा प्रबन्धक (मा. सं.) 9/6/2023

कार्यपालक निदेशक (मा. सं.) 12/6